



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072025-265064
CG-DL-E-30072025-265064

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3399]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 29, 2025/श्रावण 7, 1947

No. 3399]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2025/SHRAVANA 7, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2025

का.आ. 3477(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
9 10 (पुराना)	नई रारा सं. 9 [हरियाणा/दिल्ली सीमा (निकट टीकरी बार्डर) – पीरागढ़ी – रिंग रोड (पंजाबी बाग)(सर्विस रोड और नालियों को छोड़कर)] (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में समग्र रारा-9

44 1 और 2 (पुराना)	नया रारा-44 [हरियाणा/दिल्ली सीमा – रिंग रोड (मुकरबा चौक) और आश्रम चौक – दिल्ली/हरियाणा सीमा (निकट बदरपुर बार्डर) (सर्विस रोड और नालियों को छोड़कर)]	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में समग्र रारा-44
148ए 236 (पुराना)	नया रारा-148ए [हरियाणा/दिल्ली सीमा – छतरपुर टी प्वाइंट – अंधेरिया मोड़ – महरौली (सर्विस रोड और नालियों को छोड़कर)]	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में समग्र रारा-148ए

[फा. सं. एनएच- 14013/9/2025-पी एंड एम

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th July, 2025

S.O. 3477(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
9 10 (old)	New NH No. 9 [From Haryana/Delhi border (near Tikri border)-Peera Garhi-Ring road (Punjabi Bagh) (excluding service road & drainage)] (In the NCT of Delhi)	Entire NH-9 in the NCT of Delhi
44 1&2 (Old)	New NH-44 [From Haryana/Delhi border - Ring road (Mukarba Chowk) and From Ashram Chowk-Delhi/ Haryana border (near Badarpur border) (excluding service road & drainage)]	Entire NH-44 in the NCT of Delhi
148A 236 (old)	New NH-148A [From Haryana/Delhi border - Chhatarpur T-Point- Andheria More - Mehrauli (excluding service road & drainage)]	Entire NH148A in the NCT of Delhi

[F. No. NH-14013/9/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2025

का.आ. 3478(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन तत्समय प्रभावी नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 27 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"27"	सं. 9 [केवल सर्विस रोड और नाली], सं. 44 [केवल सर्विस रोड और नाली] और सं. 148ए [केवल सर्विस रोड और नाली] के उतने भाग जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवस्थित हैं।	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

[फा. सं. एनएच- 14013/9/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 3376(अ) और 3377(अ) , दिनांकित 23 जुलाई, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2025

S.O. 3478(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 27 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"27"	So much of National Highway No. 9 [Service road & drainage only], No. 44 [Service road & drainage only] and No. 148A [Service road & drainage only], as are situated within the National Capital Territory of Delhi.	Government of National Capital Territory of Delhi."

[F. No. NH-14013/9/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: -The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 3376(E) and 3377(E), dated the 23th July, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2025

का.आ. 3479(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 78(अ), दिनांकित 4 फरवरी, 1999 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के अंतर्गत क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा, अर्थात्:-

2	दिल्ली से दिल्ली/हरियाणा सीमा (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में)	किमी 0.00 से किमी 18.80
---	---	-------------------------

[फा. सं. एनएच- 14013/9/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 78(अ), दिनांकित 4 फरवरी, 1999 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2025

S.O. 3479(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 78(E), dated the 4th February, 1999, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

2	Delhi to Delhi/Haryana Border (In the National Capital Territory of Delhi)	Km. 0.00 to Km. 18.80
---	---	-----------------------

[F. No. NH-14013/9/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 78(E), dated the 4th February, 1999.